राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

चौथी वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्था) के सदस्य/शेयरधारक की चौथी वार्षिक आम बैठक मंगलवार, जुलाई 29, 2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे, भारतीय मानक समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) के द्वारा निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी:

1. **31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को संस्था और लेखा परीक्षकों के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित करना:

संकल्प लिया गया कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ("संस्था") के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ-साथ संस्था और लेखा परीक्षकों के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट को एतदद्वारा अपनाया जाए।

2. **संस्था के सांविधिक लेखा परीक्षक का कार्यकाल जारी रखना**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित करना:

यह संकल्प लिया गया कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (‘अधिनियम’) की धारा 26 (1) के प्रावधानों के अनुसार जो इसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के साथ पठित, 27 अप्रैल, 2021 को वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) के

सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए)/सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देश, 1 मार्च, 2023 को 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सांविधिक केंद्रीय और शाखा लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक' पर आरबीआई का परिपत्र, कोई अन्य लागू कानून (इस समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित), 18 जून, 2024 को शेयरधारक का अनुमोदन और लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर, शेयरधारक का अनुमोदन होगा और है एतद्द्वारा मेसर्स सीएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या 101961डब्ल्यू/डब्ल्यू-100036) को पुनर्नियुक्ति होने तक या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए आरबीआई द्वारा जारी पात्र लेखापरीक्षा फर्मों के पैनल के आधार पर एक नए सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति तक वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक (संस्था) के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में जारी रखने की अनुमति दी जाती है, जो निदेशक मंडल या संस्था के बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा निर्धारित किए जाने वाले जेब से किए गए खर्च, परिव्यय और करों के अतिरिक्त पारिश्रमिक पर होगा।

इसके अलावा यह भी संकल्प किया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव को प्रभावी करने के उद्देश्य से, संस्था के निदेशक मंडल (इस संबंध में बोर्ड या लेखा परीक्षा समिति द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति (ओं) सहित) को संस्था की ओर से ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और काम करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिन्हें वह अपने पूर्ण विवेक से ऐसे उद्देश्य के लिए आवश्यक या वांछनीय समझे और संस्था की ओर से संकल्प के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों, कठिनाइयों या शंकाओं को निपटाने की शक्ति होगी, जिसमें प्रासंगिक, प्रचलित वैधानिक/नियामक प्रावधानों के अनुरूप सांविधिक लेखापरीक्षक की भूमिका, जिम्मेदारियां/कार्य का दायरा और अन्य अनुमत कार्य, यदि कोई हो, का निर्धारण करना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है और इस संबंध में संस्था के शेयरधारक की किसी भी अतिरिक्त सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता के बिना किसी भी अनुबंध या दस्तावेज सहित नियुक्ति की शर्तों पर बातचीत करना, अंतिम रूप देना, संशोधन करना, हस्ताक्षर करना, वितरित करना, निष्पादित करना शामिल है।

3. केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री मनोज मुत्ताथिल अय्यप्पन (डीआईएन: 10733238) का नामांकन

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित करना:

यह संकल्प लिया गया कि राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक अधिनियम, 2021 ('अधिनियम') की धारा 6(1)(डी) के प्रावधानों के अनुसार, इसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के साथ पठित, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 62डी(3), लागू सीमा तक (इसमें वर्तमान में लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन शामिल हैं) और वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या एफ संख्या 18/7(iii)/2022-II-I दिनांक 6 अगस्त, 2024 के द्वारा भारत सरकार के आदेश के अनुसार शेयरधारक की स्वीकृति प्रदान की जाती है और एतद द्वारा श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन (डीआईएन: 10733238) को राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक के बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में 06 अगस्त, 2024 से और भारत सरकार के अगले आदेश तक के लिए नामित करने को मंजूरी दी जाती है।

4. केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में सुश्री गुरनीत तेज (डीआईएन: 07047188) को नामांकन

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित करना:

यह संकल्प लिया गया कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 ('अधिनियम') की धारा 6(1)(डी) के प्रावधानों के अनुसार, इसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के साथ पठित, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 62डी(3), लागू सीमा तक (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित) और वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.सं. 15/10/2021-आईएफ-I दिनांक 06 जून, 2025 के द्वारा भारत सरकार के आदेश के अनुसार शेयरधारक की

स्वीकृति प्रदान की जाती है और एतद द्वारा सुश्री गुरनीत तेज (डीआईएन: 07047188) को राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक के बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में 06 जून, 2025 से और भारत सरकार के अगले आदेश तक के लिए नामित किया जाता है।

5. स्वतंत्र निदेशक के रूप में सुश्री अरुणा सुंदरराजन (डीआईएन: 03523267) की नियुक्ति को जारी रखना

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित करना:

यह संकल्प लिया गया कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 ('अधिनियम') की धारा 6(1)(एफ) के प्रावधानों के साथ उसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक सामान्य नियम, 2022 के नियम 5, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 62डी(4) के अंतर्गत लागू एजेंसियों से प्राप्त उचित परिश्रम/मंजूरी, लागू सीमा तक (इस समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित) और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों और निदेशक मंडल के अनुमोदन के आधार पर, सुश्री अरुणा सुंदरराजन (डीआईएन: 03523267) को राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में दिनांक 10 अप्रैल, 2022 से प्रभावी पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति को जारी रखने के लिए शेयरधारक का अनुमोदन प्रदान किया जाता है जो ऐसे नियमों और शर्तों पर होगा जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा अधिनियम जिसे इसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के साथ पठित के अनुरूप समय-समय पर अनुमोदित किया जाए।

6. श्री बी. श्रीराम (डीआईएन: 02993708) की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति को जारी रखना

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित करना:

यह संकल्प लिया गया कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 ('अधिनियम') की धारा 6(1)(एफ) के प्रावधानों के अनुसार, इसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के साथ पठित, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक सामान्य नियम, 2022 के नियम 5, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 62डी(4) के अंतर्गत लागू एजेंसियों से प्राप्त समुचित सावधानी /अनापत्ति, लागू सीमा तक (इस समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित) और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों और निदेशक मंडल के अनुमोदन के आधार पर, श्री बी. श्रीराम (डीआईएन: 02993708) को राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति को 5 जून 2022 से प्रभावी पांच साल की अवधि जारी रखने के लिए करने के लिए शेयरधारक का अनुमोदन प्रदान किया जाता है जो ऐसे नियमों और शर्तों पर होगा जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के साथ पठित के अनुरूप अनुमोदित किया जाए।

7. श्री थोथला नारायणसामी मनोहरन (डीआईएन: 01186248) की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति को जारी रखना

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित करना:

यह संकल्प लिया गया कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 ('अधिनियम') की धारा 6(1)(एफ) के प्रावधानों के साथ उसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक सामान्य नियम, 2022 के नियम 5, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 62डी(4) के अंतर्गत लागू एजेंसियों से प्राप्त समुचित सावधानी /अनापत्ति, लागू सीमा तक (इस समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित) और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों और निदेशक मंडल के अनुमोदन के आधार पर, श्री थोथला

नारायणसामी मनोहरन (डीआईएन: 01186248) को राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में 10 अप्रैल, 2022 से प्रभावी पांच साल की अवधि तक जारी रखने के लिए शेयरधारक का अनुमोदन प्रदान किया जाता है जो ऐसे नियमों और शर्तों पर होगा जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के साथ पठित के अनुरूप अनुमोदित किया जाए।

8. श्री एल. वी. प्रभाकर (डीआईएन: 08110715) की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति को जारी रखना

निम्नलिखित पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो संशोधन सहित या बिना संशोधन के विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

यह संकल्प लिया गया कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 ('अधिनियम') की धारा 6(1) के प्रथम प्रावधान के साथ पठित इसके अंतर्गत बनाए गए लागू नियमों एवं विनियमों के अनुसार, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक सामान्य नियम, 2022 के नियम 5, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 62डी(4) के अंतर्गत लागू एजेंसियों से प्राप्त समुचित सावधानी /अनापत्ति, लागू सीमा तक (इस समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित) और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों और निदेशक मंडल के अनुमोदन के आधार पर, श्री एल. वी. प्रभाकर (डीआईएन: 08110715) की राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति को 18 अक्टूबर 2023 से प्रभावी पांच वर्ष की अवधि तक जारी रखने के लिए या शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशकों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक, जो भी पहले हो, के लिए शेयरधारक का अनुमोदन प्रदान किया जाता है जो ऐसे नियमों और शर्तों पर है , जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के साथ पठित के अनुरूप अनुमोदित किया जाए।

9. स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री एन.एस. कन्नन (डीआईएन: 00066009) की नियुक्ति को जारी रखना

निम्नलिखित पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

यह संकल्प लिया गया कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 ('अधिनियम') की धारा 6(1) के प्रथम प्रावधान के साथ पठित इसके अंतर्गत बनाए गए लागू नियमों एवं विनियमों के अनुसार, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक सामान्य नियम, 2022 के नियम 5, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 62डी(4) के अंतर्गत लागू एजेंसियों से प्राप्त समुचित सावधानी /अनापत्ति, लागू सीमा तक (इस समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित) और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों और निदेशक मंडल के अनुमोदन के आधार पर, श्री एन.एस. कन्नन (डीआईएन: 00066009) की राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति को 18 अक्टूबर 2023 से प्रभावी पांच वर्ष की अवधि तक जारी रखने के लिए या शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशकों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक, जो भी पहले हो, के लिए शेयरधारक का अनुमोदन प्रदान किया जाता है जो ऐसे नियमों और शर्तों पर है , जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के साथ पठित के अनुरूप अनुमोदित किया जाए।

10.श्री सुरेश पटेल (डीआईएन: 07202263) की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति को जारी रखना

निम्नलिखित पर विचार करना तथा, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

यह संकल्प लिया गया कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 ('अधिनियम') की धारा 6(1) के प्रथम प्रावधान के साथ पठित इसके अंतर्गत बनाए गए लागू नियमों एवं विनियमों के अनुसार, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास

बैंक सामान्य नियम, 2022 के नियम 5, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 62डी(4) के अंतर्गत लागू एजेंसियों से प्राप्त समुचित सावधानी /अनापत्ति, लागू सीमा तक (इस समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित) और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों और निदेशक मंडल के अनुमोदन के आधार पर, श्री सुरेश पटेल (डीआईएन: 07202263) की राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति को 18 अक्टूबर 2023 से प्रभावी पांच वर्ष की अवधि तक जारी रखने के लिए या शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशकों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक, जो भी पहले हो, के लिए शेयरधारक का अनुमोदन प्रदान किया जाता है जो ऐसे नियमों और शर्तों पर है , जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के साथ पठित के अनुरूप अनुमोदित किया जाए।

11.श्री राजकिरण राय जी. (डीआईएन: 07427647) की प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को जारी रखना

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित करना:

यह संकल्प लिया गया कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 ('अधिनियम') की धारा 6(1)(बी) के प्रावधानों के अनुसार, इसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के साथ पठित, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) की सिफारिश, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य लागू वैधानिक एजेंसियों से प्राप्त समुचित सावधानी /अनापत्ति, दिनांक 3 मार्च, 2022 के पत्र के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 62डी(4), लागू सीमा तक (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित) और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों और निदेशक मंडल के अनुमोदन के आधार पर, श्री राजकिरण राय जी. (डीआईएन:07427647) की बोर्ड में प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति जारी रखने के लिए शेयरधारक की मंजूरी दी जाती है राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

की ओर से 08 अगस्त, 2022 से 18 मई, 2027 तक ऐसे नियमों और शर्तों पर नियुक्ति की जाएगी, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर अधिनियम के अनुरूप अनुमोदित किया जाये और इसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के साथ पढ़ा जाये।

12.श्री बी.एस. वेंकटेश (डीआईएन: 08489577) की उप प्रबंध निदेशक-मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्ति को जारी रखना

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित करना:

संकल्प लिया गया कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 ('अधिनियम') की धारा 6(1)(सी) के प्रावधानों के अनुसार, इसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के साथ, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) की सिफारिश, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य लागू वैधानिक एजेंसियों से समुचित सावधानी /अनापत्ति, दिनांक 3 मार्च, 2022 के पत्र के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 62डी(4), लागू सीमा तक (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित) और की सिफारिशों के आधार पर नामांकन और पारिश्रमिक समिति और निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद, श्री बी.एस. वेंकटेश (डीआईएन: 08489577) को राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक के बोर्ड में उप प्रबंध निदेशक - मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्ति को 19 सितंबर, 2022 से प्रभावी पांच साल की अवधि के लिए ऐसे नियमों और शर्तों पर जारी रखने के लिए शेयरधारक का अनुमोदन दिया जाता है, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर अधिनियम के अनुरूप और उसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के साथ अनुमोदित किया जाये।

13.सुश्री मोनिका कालिया (DIN: 08579733) की उप प्रबंध निदेशक - मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्ति को जारी रखना

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित करना:

संकल्प लिया गया कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 ('अधिनियम') की धारा 6(1)(सी) के प्रावधानों के अनुसार, इसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के साथ, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) की सिफारिश, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य लागू वैधानिक एजेंसियों से समुचित सावधानी /अनापत्ति, दिनांक 3 मार्च, 2022 के पत्र के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 62डी(4), लागू सीमा तक (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित) और की सिफारिशों के आधार पर नामांकन और पारिश्रमिक समिति और निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद, सुश्री मोनिका कालिया (DIN: 08579733) को राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक के बोर्ड में उप प्रबंध निदेशक - मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्ति को 16 नवंबर, 2022 से प्रभावी पांच साल की अवधि के लिए ऐसे नियमों और शर्तों पर जारी रखने के लिए शेयरधारक का अनुमोदन दिया जाता है, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर अधिनियम के अनुरूप और उसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के साथ अनुमोदित किया जाए।

14.श्री सैमुअल जोसेफ जेबराज (डीआईएन: 02262530) की उप प्रबंध निदेशक-उधार एवं परियोजना वित्त के रूप में नियुक्ति जारी रखना

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

संकल्प लिया गया कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 ('अधिनियम') की धारा 6(1)(सी) के प्रावधानों के अनुसार, इसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के साथ, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) की सिफारिश, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य लागू वैधानिक एजेंसियों से समुचित सावधानी /अनापत्ति, दिनांक 3 मार्च, 2022 के पत्र के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 62डी(4), लागू सीमा तक (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित) और की सिफारिशों के आधार पर नामांकन और

पारिश्रमिक समिति और निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद, श्री सैमुअल जोसेफ जेबराज (डीआईएन: 02262530) को राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक के बोर्ड में उप प्रबंध निदेशक - उप प्रबंध निदेशक-उधार एवं परियोजना वित्त के रूप में नियुक्ति को 6 अप्रैल 2023 से प्रभावी पांच साल की अवधि के लिए ऐसे नियमों और शर्तों पर जारी रखने के लिए शेयरधारक का अनुमोदन दिया जाता है, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर अधिनियम के अनुरूप और उसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के साथ अनुमोदित किया जाए।

टिप्पणी:

1. नोटिस में निर्धारित मदों के संबंध में सुसंगत व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

2. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') के सुसंगत परिपत्रों के अनुसार, संस्था की वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

   चूंकि यह वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से प्रासंगिक एमसीए परिपत्रों के अनुसार आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्य की व्यक्तिगत उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, आगामी वार्षिक आम बैठक के लिए सदस्य द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं है।

3. सदस्य से अनुरोध है कि वह कंपनी सचिव को company.secretary@nabfid.org पर पत्र भेजें जिसमें उनके प्रतिनिधि को आगामी वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

4. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्य को कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

5. उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना सदस्य को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है।

6. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्य/प्रतिभागियों के लिए निर्देश नीचे दिए गए हैं:

   i. सदस्य/प्रतिभागियों को बैठक की तारीख और समय के साथ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए एक ईमेल प्राप्त होगा।

   ii. ईमेल में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग में शामिल होने के लिए एक लिंक होगा। सदस्य/प्रतिभागी अपने कंप्यूटर/लैपटॉप/टैबलेट/मोबाइल से बैठक में भाग लेने के लिए उक्त लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। यह सलाह दी जाती है कि आप अपने सिस्टम/डिवाइस पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इसे तैयार रखें।

      - यदि आपके सिस्टम/डिवाइस पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लीकेशन है, तो यह आपको मीटिंग से कनेक्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लीकेशन पर ले जाएगा। इसके बाद, मीटिंग में शामिल होने के लिए अभी जुड़ें टैब पर क्लिक करें।

      - यदि आपके सिस्टम/डिवाइस पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर नहीं है/नहीं करना चाहते हैं, तो इसके बजाय वेब पेज के माध्यम से शामिल हो सकते हैं। कृपया वेब पर शामिल हों पर क्लिक करें। इसके बाद, एक नया वेब पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना नाम लिखना होगा और "ज्वाइन नाउ" टैब पर क्लिक करके प्रतीक्षा करनी होगी, आयोजक स्वीकार करेगा और आपको बैठक में शामिल होने की अनुमति देगा।

   iii. सदस्य/प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे सभी परीक्षण और सुप्रचालन मुद्दों को पूरा करने के लिए कम से कम 15 मिनट पहले बैठक में शामिल हों।

iv. सदस्य/प्रतिभागी जिन्हें एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे कंपनी सचिव को company.secretary@nabfid.org पर लिख सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार

श्री. राजकिरण राय जी.
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07427647

दिनांक: 19 जून, 2025
स्थान: मुंबई
कार्यालय का पता:
द कैपिटल, ए विंग, 15वीं मंजिल - 1503,
जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051
दूरभाष- 022 4104 2000

व्याख्यात्मक विवरण :

मद संख्या 2 हेतु

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 ('अधिनियम') की धारा 26(1) के अनुसार, संस्था के खातों का लेखा-परीक्षण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 की उप-धारा (1) के अंतर्गत लेखा-परीक्षणकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत योग्य लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें संस्था द्वारा शेयरधारकों की आम बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल में से ऐसे कार्यकाल के लिए और ऐसे पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक तय कर सकता है।

शेयरधारक ने 18 जून, 2024 को मेसर्स सीएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को तीसरी वार्षिक आम बैठक के समापन से छठी वार्षिक आम बैठक के समापन तक संस्था के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी थी, जिसमें लेखापरीक्षा पारिश्रमिक, अन्य रिपोर्टों/प्रमाणपत्रों के लिए शुल्क, जेब खर्च और कर, जैसा भी लागू हो, निदेशक मंडल या संस्था के बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि सांविधिक लेखापरीक्षक का नाम अगले दो वर्षों के लिए सी एण्ड एजी में नहीं है, जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा अग्रेषित किया जा सकता है या यदि सांविधिक लेखापरीक्षक के खिलाफ कोई प्रतिकूल रिपोर्ट है, तो संस्था किसी अन्य फर्म को संस्था के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधारक से नए सिरे से अनुमोदन मांग सकती है। उक्त सांविधिक लेखापरीक्षक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किए जाने योग्य लेखापरीक्षा फर्मों के सी एण्ड एजी पैनल की सूची में है।

उक्त वैधानिक लेखापरीक्षक, मेसर्स के जारी रहने को मंजूरी देने के लिए पात्र लेखापरीक्षा फर्मों के सी एण्ड एजी पैनल की सूची में है। चूंकि सुसंगत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र लेखापरीक्षा फर्मों के भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (C&AG) पैनल को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी किया जाना बाकी है, 30 अप्रैल 2025 को हुई बैठक में लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों और 19 जून 2025 को हुई बैठक में

निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर, शेयरधारक से अनुरोध है कि वे मेसर्स सीएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या 101961W/W-100036) को वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए संस्था के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त की निरंतरता को मंजूरी दें जब तक कि पुनर्नियुक्ति न हो जाए या वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जारी पात्र ऑडिट फर्मों के सी एण्ड जी पैनल के आधार पर नए सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति न हो जाए, जो निदेशक मंडल या संस्था के बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा निर्धारित किए जाने वाले जेब खर्चों, व्यय और करों के अतिरिक्त पारिश्रमिक पर होगा। रिजर्व बैंक से अपेक्षित पैनल प्राप्त होने के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लेखापरीक्षक की नियमित नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति शेयरधारक से मांगी जाएगी।

मेसर्स सीएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

"फर्म की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी और यह मुंबई में स्थित है तथा इसकी शाखाएँ पूरे भारत में हैं। फर्म में ~ 33 भागीदार और 750 से अधिक सीए और अन्य तकनीकी कर्मचारी हैं, जो बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में व्यापक अनुभव के साथ पेशे से जुड़े हैं। फर्म के भागीदारों ने सेबी, आईसीएआई, लेखा मानक बोर्ड, आईआरडीए, आईआईए और आयकर प्राधिकरणों सहित नियामकों के साथ मिलकर काम किया है; और बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसाइटी, इंडियन मर्चेंट्स चैंबर्स और चैंबर ऑफ इनकम टैक्स कंसल्टेंट्स जैसे पेशेवर संघों में नेतृत्व के पदों पर रहे हैं।

फर्म मुख्य रूप से बैंकिंग और गैर-बैंकिंग, बीमा, सूचना प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों की सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के साथ विभिन्न इंडस्ट्री में वैधानिक लेखापरीक्षक रही है।

वैधानिक लेखापरीक्षक होने के अलावा, फर्म ने लेन-देन सलाहकार, आंतरिक पुनर्गठन, विलय/विभाजन, मंदी की बिक्री, बाय-बैक और पूंजी में कमी सलाहकार और कार्यान्वयन, सेबी, एनबीएफसी विनियम, भागीदारी/एलएलपी, बीमा कानून-सलाह, अनुपालन और प्रतिनिधित्व, कॉर्पोरेट वित्त - परियोजना मूल्यांकन, वित्तीय व्यवहार्यता

अध्ययन वित्तीय मूल्यांकन और उचित परिश्रम सहित कॉर्पोरेट और संबद्ध कानूनों में भी सलाहकार का काम किया है।

यह फर्म भारतीय रिजर्व बैंक सहित कई बैंकिंग संस्थानों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में जुड़ी हुई है, तथा अन्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बैंकिंग संस्थाएं भी इसमें शामिल हैं।"

बोर्ड, संस्था के शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस की मद संख्या 2 पर संकल्पों की अनुशंसा करता है।

संस्था के किसी भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का वित्तीय या अन्य रूप से संलग्न नोटिस के मद संख्या 2 पर संकल्प पारित करने में कोई दिलचस्पी या सरोकार नहीं है।

मद सं. 3 से मद सं. 14 तक

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्था) ने अपने ऋण प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंजों (अर्थात एनएसई और बीएसई) में सूचीबद्ध किया है और तदनुसार उच्च मूल्य वाली ऋण सूचीबद्ध संस्थाओं से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) लागू किए हैं।

तदनुसार विनियमन 62डी(3) और 62डी(4) के अनुसार निम्नलिखित के लिए शेयरधारक का अनुमोदन मांगा जाता है:

1. सुश्री गुरनीत तेज (डीआईएन: 07047188) और श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन (डीआईएन: 10733238) को भारत सरकार का आदेश और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 जिसे इसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों और लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 62डी(3) के साथ लागू सीमा तक पढ़ा जाएगा के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा संस्था के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

2. सुश्री अरुणा सुंदरराजन, स्वतंत्र निदेशक, श्री बी श्रीराम, स्वतंत्र निदेशक, श्री थोथला नारायणसामी मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक, श्री एल वी प्रभाकर, स्वतंत्र निदेशक, श्री एन एस कन्नन, स्वतंत्र निदेशक, श्री सुरेश पटेल, स्वतंत्र निदेशक, श्री राजकिरण राय जी, प्रबंध निदेशक, श्री बी.एस. वेंकटेश, उप प्रबंध निदेशक - मुख्य जोखिम अधिकारी, सुश्री मोनिका कालिया, उप प्रबंध निदेशक - मुख्य वित्तीय अधिकारी और श्री सैमुअल जोसेफ जेबराज, उप प्रबंध निदेशक - उधार और परियोजना वित्त, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के अनुसार संस्था के बोर्ड में, इसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के साथ पढ़ें, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 का विनियम 62डी(4), लागू सीमा तक (इस समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित), की नियुक्ति जारी रहेगी।

निदेशकों के पास आवश्यक कौशल, ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता है और संस्था के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक प्रमुख विशेषताएं हैं। निदेशक गण अधिनियम की धारा 10 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। नामांकन और पारिश्रमिक समिति और बोर्ड ने निर्धारित किया है कि उक्त निदेशक आरबीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार संस्था के निदेशक के रूप में पद धारण करने के लिए उपयुक्त और योग्य हैं और उन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से वंचित नहीं किया गया है। इसके अलावा, बोर्ड की राय में और स्वतंत्र निदेशकों द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्रता की घोषणा के आधार पर, स्वतंत्र निदेशक ईमानदार हैं, उनके पास स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता है और वे संस्था के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक सामान्य नियम, 2022 और लिस्टिंग विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं।

उपर्युक्त निदेशकों के अपेक्षित ब्योरा इस नोटिस के अनुलग्नक I में दिया गया है।

बोर्ड संस्था के शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस की मद संख्या 3 से लेकर 14 पर संकल्पों की अनुशंसा करता है।

संस्था के निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों और उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, उनकी नियुक्ति/नामांकन के संबंध में प्रस्तावित नियुक्त/नामांकित व्यक्ति को छोड़कर, संलग्न नोटिस की मद संख्या 3 से लेकर 14 पर संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्यथा संबंधित या इच्छुक नहीं है।

अनुबंध I

श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन

एजीएम नोटिस के अनुसार सं.	3
निदेशक का नाम	श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन
डी आई एन	10733238
जन्मतिथि	03 अक्टूबर 1974
आयु	50
नामांकन की प्रभावी तिथि	06 अगस्त, 2024
योग्यता	बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री (एमबीए) और बैचलर ऑफ साइंस।
अनुभव (विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता सहित) / संक्षिप्त विवरण	श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन वित्तीय सेवा विभाग (डी एफ एस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं। श्री मनोज को एसएमई ऋण, वित्तीय विश्लेषण, व्यापार वित्त, ऋण जोखिम प्रबंधन, तनावग्रस्त खाता प्रबंधन और ऋण संचालन में 27 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। अपनी वर्तमान भूमिकाओं से पहले श्री मनोज ने करूर वैश्य बैंक, उत्कर्ष एसएफबी और एक्सिस बैंक जैसे संस्थानों में विशेष रूप से एमएसएमई वित्त में व्यावसायिक नेतृत्व की भूमिकाएं निभाई हैं। श्री मनोज ने एक्सेंचर मैनेजमेंट कंसल्टिंग, इंफोसिस बीपीओ और बैंक ऑफ मदुरै लिमिटेड में भी काम किया है।
31 मई 2025 को अन्य निदेशक पद	1. भारतीय साधारण बीमा निगम 2. राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड 3. बैंक ऑफ इंडिया 4. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

31 मई 2025 को समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	1
संस्था के अन्य निदेशकों, प्रबंधकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	कोई नहीं
वर्ष के दौरान बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या (वित्त वर्ष 2025)	8 में से 7 बैठकें
पारिश्रमिक सहित नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की शर्तें और नियम	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ तथा वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या एफ सं. 18/7(iii)/2022-II-I दिनांक 6 अगस्त, 2024 के तहत भारत सरकार के आदेश के अनुसार नामांकन।

<u>सुश्री गुरनीत तेज</u>

एजीएम नोटिस के अनुसार सं.	4
निदेशक का नाम	सुश्री गुरनीत तेज
डी आई एन	07047188
जन्मतिथि	15 सितंबर 1981
आयु	44
नामांकन की प्रभावी तिथि	06 जून 2025
योग्यता	पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री
अनुभव (विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता सहित) / संक्षिप्त विवरण	सुश्री गुरनीत तेज 2006 बैच (कर्नाटक कैडर) की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। सुश्री गुरनीत वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर

	कार्यरत हैं। सुश्री गुरनीत को कर्नाटक और पंजाब राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में लोक प्रशासन, महिला एवं बाल विकास, शहरी विकास आदि जैसे विविध कार्यों से निपटने का लगभग 20 वर्षों का अनुभव है।
31 मई 2025 को अन्य निदेशक पद	1. इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड 2. नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड 3. जम्मू और कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड
31 मई 2025 को समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	0
संस्था के अन्य निदेशकों, प्रबंधकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	कोई नहीं
वर्ष के दौरान बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या (वित्त वर्ष 2025)	लागू नहीं
पारिश्रमिक सहित नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की शर्तें और नियम	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पठित और वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.सं. 15/10/2021-आईएफ-I दिनांक 06 जून, 2025 के तहत भारत सरकार के आदेश के अनुसार नामांकन।

सुश्री अरुणा सुंदरराजन

एजीएम नोटिस के अनुसार सं.	5
निदेशक का नाम	सुश्री अरुणा सुंदरराजन
डी आई एन	03523267
जन्मतिथि	12 जुलाई 1959
आयु	65
नामांकन की प्रभावी तिथि	10 अप्रैल 2022
योग्यता	आर्ट में स्नातकोत्तर, लोक प्रशासन में डिप्लोमा
अनुभव (विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता सहित) / संक्षिप्त विवरण	सुश्री अरुणा सुंदरराजन भारत सरकार में इस्पात, आईटी और दूरसंचार मंत्रालयों में सचिव और डिजिटल संचार आयोग की अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुकी हैं। अपने कार्यकाल के दौरान, सुश्री सुंदरराजन ने दूरसंचार और हार्डवेयर विनिर्माण, ई-गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान, डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और तकनीकी स्टार्ट-अप के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण तकनीकी नीतियों और पहलों का बीड़ा उठाया। सुश्री सुंदरराजन डेल्हीवरी और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डिजी वृद्धि जैसी प्रमुख कंपनियों के निदेशक मंडल में कार्यरत हैं। वह विभिन्न तकनीकी परामर्श और एंजल फाइनेंसिंग पहलों की एक सक्रिय सदस्य भी हैं।
31 मई 2025 को अन्य निदेशक पद	1. एलएंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड 2. इन्फो एज (इंडिया) लिमिटेड 3. डेल्हीवरी लिमिटेड 4. कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड 5. डिजीवृद्धि टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड 6. ट्रूकॉलर

31 मई 2025 को समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	5
संस्था के अन्य निदेशकों, प्रबंधकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	कोई नहीं
वर्ष के दौरान बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या (वित्त वर्ष 2025)	12 में से 12 बैठकें
पारिश्रमिक सहित नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की शर्तें और नियम	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ। पारिश्रमिक का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

<u>श्री बी. श्रीराम</u>

एजीएम नोटिस के अनुसार सं.	6
निदेशक का नाम	श्री बी. श्रीराम
डी आई एन	02993708
जन्मतिथि	20 सितंबर 1958
आयु	66
नामांकन की प्रभावी तिथि	05 जून 2022
योग्यता	भौतिकी में ऑनर्स स्नातक और परास्नातक
अनुभव (विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता सहित) / संक्षिप्त विवरण	श्री बी. श्रीराम दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से भौतिकी में ऑनर्स ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री धारक हैं। वह भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (पूर्व में भारतीय बैंकर्स संस्थान), मुंबई के प्रमाणित एसोसिएट भी हैं। उनके पास भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति अकादमी, नई दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति में डिप्लोमा और अखिल भारतीय प्रबंधन संघ, नई

	दिल्ली से प्रबंधन में एआईएमए डिप्लोमा है। श्री श्रीराम ने अपने करियर में निम्नलिखित सहित कई प्रमुख कार्यकारी पदों पर कार्य किया है:- • 30 जून, 2018 से 29 सितंबर, 2018 तक आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ। • जुलाई 2014 से जून 2018 तक भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक। • मार्च 2013 से जुलाई 2014 तक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के प्रबंध निदेशक। श्री श्रीराम ने भारतीय स्टेट बैंक समूह के साथ लगभग 37 वर्षों तक काम किया है और बैंकिंग और वित्त के सभी क्षेत्रों में उनका अच्छा अनुभव है। वे दिसंबर 1981 में प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शामिल हुए और उन्होंने बैंक और समूह में क्रेडिट और जोखिम, रिटेल, संचालन, आईटी, ट्रेजरी, निवेश बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय संचालन, भुगतान और निपटान प्रणाली और लघु उद्योग में विभिन्न प्रमुख कार्यभार संभाले। श्री श्रीराम ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, यूके की बाहरी निवेश समिति के सदस्य हैं। श्री श्रीराम कई कंपनियों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर काम करते हैं। इसके अलावा, उन्होंने कुछ सलाहकार पद भी संभाले हैं।
31 मई 2025 को अन्य निदेशक पद	1. होम क्रेडिट इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड 2. ड्रीमप्लग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड 3. टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड 4. इंडियाआइडियाज कॉम लिमिटेड 5. निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड 6. टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड 7. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड 8. टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज लिमिटेड

31 मई 2025 को समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	4
संस्था के अन्य निदेशकों, प्रबंधकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	कोई नहीं
वर्ष के दौरान बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या (वित्त वर्ष 2025)	12 में से 12 बैठकें
पारिश्रमिक सहित नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की शर्तें और नियम	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ। पारिश्रमिक का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

श्री थोथला नारायणसामी मनोहरन

एजीएम नोटिस के अनुसार सं.	7
निदेशक का नाम	श्री थोथला नारायणसामी मनोहरन
डी आई एन	01186248
जन्मतिथि	07 अप्रैल 1956
आयु	69
नामांकन की प्रभावी तिथि	10 अप्रैल 2022
योग्यता	चार्टर्ड एकाउंटेंट
अनुभव (विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता सहित) / संक्षिप्त विवरण	श्री टी.एन. मनोहरन 41 वर्षों के अनुभव वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अकाउंटेंसी फर्म "मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स" के संस्थापक हैं। श्री मनोहरन ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, रिजर्व बैंक द्वारा नामित सहारा इंडिया फाइनेंस कॉरपोरेशन के निदेशक, भारत सरकार द्वारा नियुक्त विशेष निदेशक के रूप में सत्यम

	कंप्यूटर्स लिमिटेड, आरबीआई द्वारा नियुक्त लक्ष्मी विलास बैंक के प्रशासक और बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य किया है। श्री मनोहरन महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक भी हैं। श्री मनोहरन को बिजनेस लीडरशिप अवार्ड, 2009 में इंडियन ऑफ द ईयर और पद्म श्री सहित कई पुरस्कार मिले हैं। श्री मनोहरन की विशेषज्ञता अकाउंटेंसी, अर्थशास्त्र, बैंकिंग, जोखिम, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लघु उद्योग, वित्त, कानून, मानव संसाधन, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन और कॉर्पोरेट प्रशासन के क्षेत्र में है। श्री मनोहरन वर्तमान में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।"
31 मई 2025 को अन्य निदेशक पद	1. महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड 2. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
31 मई 2025 को समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	1
संस्था के अन्य निदेशकों, प्रबंधकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	कोई नहीं
वर्ष के दौरान बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या (वित्त वर्ष 2025)	12 में से 12 बैठकें
पारिश्रमिक सहित नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की शर्तें और नियम	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ। पारिश्रमिक का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

श्री एल.वी. प्रभाकर

एजीएम नोटिस के अनुसार सं.	8
निदेशक का नाम	श्री एल.वी. प्रभाकर
डी आई एन	08110715
जन्मतिथि	12 दिसंबर 1962
आयु	62
नामांकन की प्रभावी तिथि	18 अक्टूबर 2023
योग्यता	कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री
अनुभव (विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता सहित) / संक्षिप्त विवरण	श्री एल.वी. प्रभाकर ने मार्च 2018 से जनवरी 2020 तक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के कार्यकारी निदेशक के रूप में काम किया और विभिन्न प्रमुख वर्टिकल जैसे क्रेडिट, ट्रेजरी और मानव संसाधन को संभाला। पीएनबी में नीरव मोदी की घटना के परीक्षण के समय में, श्री प्रभाकर काफी समय तक एकमात्र ईडी थे और उन्होंने बैंक के सभी वर्टिकल की जिम्मेदारियों को निभाया और बैंक पर नीरव मोदी धोखाधड़ी के नकारात्मक प्रभाव को सफलतापूर्वक संभाला / कम किया। फरवरी 2020 से दिसंबर 2022 तक केनरा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में, श्री प्रभाकर ने सिंडिकेट बैंक के केनरा बैंक के साथ सुचारू समामेलन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और सर्वोत्तम मानव संसाधन प्रथाओं और प्रौद्योगिकी पहलों के माध्यम से निर्बाध ग्राहक सेवा सुनिश्चित की। श्री प्रभाकर ने महत्वपूर्ण विंगों के कामकाज को सुव्यवस्थित किया है और नए विशेषीकृत वर्टिकल जैसे गोल्ड लोन, कैश मैनेजमेंट, देयता उत्पादों के लिए

	सेंट्रल प्रोसेसिंग हब, रिटेल हब, कॉर्पोरेट क्रेडिट केंद्रित यूनिट्स और ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग की शुरुआतश्री एल.वी. प्रभाकर ने मार्च 2018 से जनवरी 2020 तक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के कार्यकारी निदेशक के रूप में काम किया और विभिन्न प्रमुख वर्टिकल जैसे क्रेडिट, ट्रेजरी और मानव संसाधन को संभाला। पीएनबी में नीरव मोदी की घटना के परीक्षण के समय में, श्री प्रभाकर काफी समय तक एकमात्र ईडी थे और उन्होंने बैंक के सभी वर्टिकल की जिम्मेदारियों को निभाया और बैंक पर नीरव मोदी धोखाधड़ी के नकारात्मक प्रभाव को सफलतापूर्वक संभाला / कम किया। फरवरी 2020 से दिसंबर 2022 तक केनरा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में, श्री प्रभाकर ने सिंडिकेट बैंक के केनरा बैंक के साथ सुचारू समामेलन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और सर्वोत्तम मानव संसाधन प्रथाओं और प्रौद्योगिकी पहलों के माध्यम से निर्बाध ग्राहक सेवा सुनिश्चित की। श्री प्रभाकर ने महत्वपूर्ण विंगों के कामकाज को सुव्यवस्थित किया है और नए विशेषीकृत वर्टिकल जैसे गोल्ड लोन, कैश मैनेजमेंट, देयता उत्पादों के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग हब, रिटेल हब, कॉर्पोरेट क्रेडिट केंद्रित यूनिट्स और ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग की शुरुआत करके कार्यक्षमताओं को फिर से संगठित किया है। उनके नेतृत्व में, केनरा बैंक को ग्लोबल बैंकिंग समिट, लंदन में भारत खंड के लिए "बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022" मिला है। करके कार्यक्षमताओं को फिर से संगठित किया है। उनके नेतृत्व में,

	केनरा बैंक को ग्लोबल बैंकिंग समिट, लंदन में भारत खंड के लिए "बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022" मिला है।
31 मई 2025 को अन्य निदेशक पद	1. इंडसइंड बैंक लिमिटेड 2. कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड
31 मई 2025 को समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	2
संस्था के अन्य निदेशकों, प्रबंधकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	कोई नहीं
संस्था में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	0
वर्ष के दौरान बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या (वित्त वर्ष 2025)	12 में से 12 बैठकें
पारिश्रमिक सहित नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की शर्तें और नियम	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ। पारिश्रमिक का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

श्री एन.एस. कन्नन

एजीएम नोटिस के अनुसार सं.	9
निदेशक का नाम	श्री एन.एस. कन्नन
डी आई एन	00066009
जन्मतिथि	30 जून 1965
आयु	60
बोर्ड में नियुक्ति की तारीख	8 अक्टूबर 2023

योग्यता	एनआईटी, त्रिची से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक, आईसीएफएआई से चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, तथा आईआईएम, बैंगलोर से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।
अनुभव (विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता सहित) / संक्षिप्त विवरण	श्री एन.एस. कन्नन आईसीआईसीआई समूह में बैंकिंग और बीमा में वित्तीय सेवा डोमेन में 32 वर्षों से अधिक का कार्यकारी अनुभव लेकर आए हैं। श्री कन्नन जून 2023 में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में सेवानिवृत्त हुए। अपने कार्यकाल के दौरान, श्री कन्नन ने कंपनी को एक मल्टीप्रोडक्ट और मल्टी-चैनल कंपनी में बदलने का नेतृत्व किया। श्री कन्नन ने आईसीआईसीआई समूह में विभिन्न नेतृत्व भूमिकाओं में काम किया है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड में ईडी और सीएफओ के रूप में कार्य करना शामिल है। श्री कन्नन ने विभिन्न आईसीआईसीआई समूह कंपनियों के अध्यक्ष/गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में भी काम किया है। श्री कन्नन भारत सरकार और आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और जीवन और सामान्य बीमा परिषदों सहित विभिन्न नियामक और उद्योग निकायों द्वारा गठित कई समितियों का हिस्सा रहे हैं। श्री कन्नन वर्तमान में आरबीआई के कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स की अकादमिक परिषद, आरबीआई की स्थायी बाहरी सलाहकार समिति और आईआरडीएआई की बीमा सलाहकार समिति के सदस्य हैं। श्री कन्नन वित्तीय सेवा क्षेत्र में कंपनियों के शीर्ष पद पर रहे हैं और उन्हें

	व्यापक अनुभव और अनुभव है। उनके पास वित्त, रणनीति, कॉर्पोरेट प्रशासन, लेखा परीक्षा, साइबर सुरक्षा जोखिम सहित जोखिम प्रबंधन आदि क्षेत्रों में नेतृत्व का अनुभव और विशेषज्ञता है।
31 मई 2025 को अन्य निदेशक पद	1. ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड 2. जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड 3. बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड 4. विप्रो लिमिटेड
31 मई 2025 को समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	3
संस्था के अन्य निदेशकों, प्रबंधकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	कोई नहीं
वर्ष के दौरान बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या (वित्त वर्ष 2025)	12 में से 12 बैठकें
पारिश्रमिक सहित नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की शर्तें और नियम	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ। पारिश्रमिक का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

श्री सुरेश पटेल

एजीएम नोटिस के अनुसार सं.	10
निदेशक का नाम	श्री सुरेश पटेल
डी आई एन	07202263
जन्मतिथि	25 दिसंबर 1957

आयु	67
बोर्ड में नियुक्ति की तारीख	18 अक्टूबर 2023
योग्यता	कृषि विज्ञान में स्नातक और विधि में स्नातक
अनुभव (विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता सहित) / संक्षिप्त विवरण	श्री सुरेश पटेल को बैंकिंग का 37 वर्षों से अधिक का अनुभव है। श्री पटेल ने बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, जिनमें से अधिकांश फील्ड असाइनमेंट में हैं। श्री पटेल ने एमडी और सीईओ के रूप में आंध्रा बैंक से सेवानिवृत्ति प्राप्त की। इससे पहले, श्री पटेल ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी निदेशक और देना बैंक के साथ महाप्रबंधक के रूप में काम किया था। सेवानिवृत्ति के बाद, श्री पटेल ने आईओसी लिमिटेड और बीईएल के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) के रूप में कार्यभार संभाला है। श्री पटेल रिजर्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली (बीपीएसएस) के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड के स्थायी आमंत्रित सदस्य भी थे। श्री पटेल स्वतंत्र निदेशक के रूप में कंपनियों के बोर्ड में भी रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद, श्री पटेल को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा सतर्कता आयुक्त और बाद में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री पटेल मोंटेकार्लो लिमिटेड (अहमदाबाद) के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक भी हैं। वर्तमान में, श्री पटेल बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड (एबीबीएफएफ) के अध्यक्ष भी हैं।
31 मई 2025 को अन्य निदेशक पद	1. मोंटेकार्लो लिमिटेड 2. ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड 3. कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लिमिटेड

31 मई 2025 को समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	1
संस्था के अन्य निदेशकों, प्रबंधकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	कोई नहीं
वर्ष के दौरान बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या (वित्त वर्ष 2025)	12 में से 12 बैठकें
पारिश्रमिक सहित नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की शर्तें और नियम	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ। पारिश्रमिक का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

<u>श्री राजकिरण राय जी.</u>

एजीएम नोटिस के अनुसार सं.	11
निदेशक का नाम	श्री राजकिरण राय जी.
डी आई एन	07427647
जन्मतिथि	19 मई 1962
आयु	63
नामांकन की प्रभावी तिथि	08 अगस्त 2022
योग्यता	कृषि विज्ञान में स्नातक एवं सीएआईआईबी
अनुभव (विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता सहित) / संक्षिप्त विवरण	1 जुलाई 2017 से 31 मई 2022 दौरान 60 वर्ष की आयु तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ रहे श्री राजकिरण राय जी, तीन दशकों से अधिक का समृद्ध बैंकिंग अनुभव रखते हैं, जिसमें औद्योगिक वित्त शाखा - क्षेत्र और आंचलिक कार्यालयों का नेतृत्व करना शामिल है। 1986 में सेंट्रल बैंक ऑफ

	इंडिया में कृषि वित्त अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले श्री राय 17 से अधिक वर्षों तक देश के विभिन्न हिस्सों में अनेक शाखाओं का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़े। महाप्रबंधक के रूप में उनकी पदोन्नति के बाद, श्री राय को मानव संसाधन विकास विभाग का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। श्री राय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई जोन के फील्ड जनरल मैनेजर थे, जब उन्हें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया था। श्री राय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यू.के.) लिमिटेड, यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कॉर्पबैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड के अध्यक्ष और एक्जिम बैंक और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक थे। इससे पहले, श्री राय ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में रहे थे। श्री राय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रबंधन कर्मियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम विकसित करने के विषय में बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) को सलाह देने के लिए समिति के प्रमुख के रूप में भी काम किया। श्री राय भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के अध्यक्ष थे। आईबीए में अपनी कई जिम्मेदारियों को निभाते हुए श्री राय ने प्रबंध समिति के अध्यक्ष, मानव संसाधन और आईआर पर स्थायी समिति के

	अध्यक्ष और वेतन वार्ता समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। श्री राय कृषि विज्ञान स्नातक हैं और भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित सदस्य भी हैं। एक उत्साही शिक्षार्थी होने के नाते, श्री राय ने देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में कई कार्यकारी विकास कार्यक्रमों से लाभ उठाया है। कई प्रतिष्ठित उद्योग पुरस्कारों और प्रशंसाओं के विजेता, श्री राय को प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए उनके विशिष्ट दृष्टिकोण के लिए विश्व एचआरडी कांग्रेस द्वारा 'सीईओ विद एचआर ओरिएंटेशन' से सम्मानित किया गया है।
31 मई 2025 को अन्य निदेशक पद	0
31 मई 2025 को समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	0
संस्था के अन्य निदेशकों, प्रबंधकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	कोई नहीं
वर्ष के दौरान बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या (वित्त वर्ष 2025)	12 में से 12 बैठकें
पारिश्रमिक सहित नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की शर्तें और नियम	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ। पारिश्रमिक का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

<u>श्री बी.एस. वेंकटेश</u>

एजीएम नोटिस के अनुसार सं.	12
निदेशक का नाम	श्री बी.एस. वेंकटेश
डी आई एन	08489577
जन्मतिथि	08 मई 1974
आयु	51
बोर्ड में नियुक्ति की तारीख	19 सितंबर 2022
योग्यता	एमबीए (फाइनैन्स) एवं सीएआईआईबी
अनुभव (विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता सहित) / संक्षिप्त विवरण	श्री बी.एस. वेंकटेश के पास लगभग तीन दशकों का समृद्ध बैंकिंग अनुभव है, जिसमें विदेशी मुद्रा, ट्रेजरी, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, बड़े कॉर्पोरेट ऋण और जोखिम प्रबंधन के क्षेत्रों पर प्राथमिक ध्यान केंद्रित किया गया है। श्री वेंकटेश ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कई नेतृत्व पदों पर कार्य किया है, जैसे कि क्षेत्रीय प्रमुख, बैंक की यूरोपीय इकाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य संबंध अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी आदि। श्री वेंकटेश ने यूनियन बैंक के विदेशी विस्तार और बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री वेंकटेश यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य जोखिम अधिकारी (मुख्य महाप्रबंधक) थे। श्री वेंकटेश के पास जोखिम-संतुलित विकास और अनुपालन के दायरे में बड़े बैंकों को संभालने का व्यापक अनुभव है श्री वेंकटेश ने वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (पूर्व में बैंक बोर्ड ब्यूरो) द्वारा आईआईएम बैंगलोर के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम पूरा कर लिया है।

31 मई 2025 को अन्य निदेशक पद	0
31 मई 2025 को समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	0
संस्था के अन्य निदेशकों, प्रबंधकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	कोई नहीं
वर्ष के दौरान बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या (वित्त वर्ष 2025)	12 में से 12 बैठकें
पारिश्रमिक सहित नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की शर्तें और नियम	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ। पारिश्रमिक का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

<u>सुश्री मोनिका कालिया</u>

एजीएम नोटिस के अनुसार सं.	13
निदेशक का नाम	सुश्री मोनिका कालिया
डी आई एन	08579733
जन्मतिथि	26 फरवरी 1973
आयु	52
बोर्ड में नियुक्ति की तारीख	16 नवंबर 2022
योग्यता	कंपनी सचिव एवं सीएआईआईबी, बी.कॉम (ऑनर्स)
अनुभव (विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता सहित) / संक्षिप्त विवरण	सुश्री मोनिका कालिया बैंक ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक थीं। सुश्री मोनिका ने आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण, जोखिम प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के आश्वासन कार्यों की देखरेख जैसी

	विभिन्न भूमिकाएं संभाला है और उन्हें ट्रेजरी और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग का अतिरिक्त अनुभव है। इसके अलावा, सुश्री मोनिका ने जमा राशि जुटाने, ग्राहक अनुभव, परिसर, व्यवसाय प्रक्रिया पुनः इंजीनियरिंग और प्रमुख ग्राहक देखभाल से जुड़े ग्राहक सेवा उत्कृष्टता से संबंधित कार्यों को संभाला है। बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, सुश्री मोनिका के पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ कॉर्पोरेट कार्यालय और फील्ड बैंकिंग का व्यापक 360-डिग्री अनुभव था। सुश्री मोनिका ने बैंकों के समामेलन के महत्वपूर्ण समय में वित्तीय योजना और निवेशक संबंधों के क्षेत्रीय प्रमुख और अन्य महत्वपूर्ण विभागों के रूप में गुजरात राज्य का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है (उचित परिश्रम करने और शेयर स्वैप अनुपात तय करने के लिए जिम्मेदार) इसके अलावा, सुश्री मोनिका ने खुदरा ऋण, विपणन और तीसरे पक्ष के उत्पाद वितरण, कॉर्पोरेट संचार, अनुपालन और बोर्ड सचिवालय, और लेखा कराधान का भी नेतृत्व किया है। 27 से अधिक वर्षों की अपनी पेशेवर यात्रा के दौरान, सुश्री मोनिका मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य शिकायत अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी और कंपनी सचिव, यौन उत्पीड़न समिति की अध्यक्ष और विभिन्न समय पर यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन की प्रबंध न्यासी के रूप में विभिन्न क्षमताओं में आरबीआई/सेबी/एमओएफ के साथ बातचीत

	करने के लिए बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक भी रही हैं। सुश्री मोनिका ने विभिन्न उद्योग स्तरों और आईबीए, एसएलबीसी और आरबीआई के नियामक मंचों पर भी बैंक का प्रतिनिधित्व किया है। सुश्री मोनिका यूनियन बैंक के दो संयुक्त उपक्रमों, स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस और यूनियन एसेट मैनेजमेंट ट्रस्टी कंपनी के बोर्ड में निदेशक भी थीं। सुश्री मोनिका ने विभिन्न अवॉर्ड हासिल किया है जिसमें वर्ष 2019 में ग्लोबल वूमेन अचीवर अवार्ड और एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल वेल्थ मैनेजमेंट ऑफ इंडिया की ओर से 2020 में भारत में फाइनेंस के क्षेत्र में शीर्ष 100 महिलाओं का अवॉर्ड शामिल है। बी.कॉम (एच) रैंक धारक होने के अलावा, सुश्री मोनिका कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) की फेलो सदस्य, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी) की प्रमाणित एसोसिएट भी हैं, और उन्होंने आईआईबीएफ से ट्रेजरी और इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट में डिप्लोमा, वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आईटी और साइबर सुरक्षा में सर्टिफिकेट प्रोग्राम - आईडीआरबीटी, आईआईबीएफ से एएमएल और केवाईसी में सर्टिफिकेट प्रोग्राम और आईआईएम बैंगलोर में बीबीबी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम पूरा किया है।
31 मई 2025 को अन्य निदेशक पद	0

31 मई 2025 को समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	0
संस्था के अन्य निदेशकों, प्रबंधकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	कोई नहीं
वर्ष के दौरान बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या (वित्त वर्ष 2025)	12 में से 12 बैठकें
पारिश्रमिक सहित नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की शर्तें और नियम	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ। पारिश्रमिक का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

<u>श्री सैमुएल जोसेफ जेबराज</u>

एजीएम नोटिस के अनुसार सं.	14
निदेशक का नाम	श्री सैमुएल जोसेफ जेबराज
डी आई एन	02262530
जन्मतिथि	22 जून 1968
आयु	57
बोर्ड में नियुक्ति की तारीख	06 अप्रैल 2023
योग्यता	एमबीए (फाइनेंस) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन में ऑनर्स इंजीनियरिंग स्नातक
अनुभव (विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता सहित) / संक्षिप्त विवरण	संस्था में शामिल होने से पहले, श्री सैमुअल जोसेफ जेबराज सितंबर 2019 से अप्रैल 2023 तक आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में उप प्रबंध निदेशक थे। आईडीबीआई बैंक से पहले, श्री सैमुअल 21 वर्षों से अधिक समय तक विभिन्न क्षमताओं में एक्ज़िम बैंक में थे; अंतिम बार वे मुख्य महाप्रबंधक थे।

	श्री सैमुअल के पास 31 वर्षों से अधिक का विविध बैंकिंग अनुभव है। श्री सैमुअल आईडीबीआई बैंक में टर्नअराउंड टीम का हिस्सा थे। पूर्णकालिक निदेशक के रूप में, श्री सैमुअल आईडीबीआई बैंक में बड़े और मध्यम-कॉर्पोरेट समूहों, एनपीए प्रबंधन, व्यापार वित्त, विदेशी परिचालन, वित्त और लेखा, आईटी और डिजिटल बैंकिंग, एमआईएस और एचआर के लिए सीधे जिम्मेदार थे। श्री सैमुअल आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के बोर्ड में भी थे और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड और आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल के अध्यक्ष थे। एक्ज़िम बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान, श्री सैमुअल ने कॉर्पोरेट बैंकिंग, एसएमई, कृषि निर्यात, ऋण वसूली, आईटी और एचआर जैसे विभिन्न वर्टिकल का नेतृत्व किया। श्री सैमुअल जून 2014 से अक्टूबर 2017 के बीच एक्ज़िम बैंक के सीएफओ थे। श्री सैमुअल ने बेंगलुरु, हैदराबाद, मिलान, लंदन और मुंबई में अपने कार्यालयों में विभिन्न भूमिकाओं में एक्ज़िम बैंक की सेवा की थी। श्री सैमुअल कुछ कॉर्पोरेट बोर्डों में एक्ज़िम बैंक के नामित निदेशक थे। श्री सैमुअल बैंकिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, ट्रेड फाइनेंस आदि पर नियमित वक्ता हैं। श्री सैमुअल भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भारत सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न कार्य समूहों / टास्क फोर्स के सदस्य थे। श्री सैमुअल ने लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय, नाइजीरिया के एक्ज़िम बैंक, श्रीलंका एक्सपोर्ट्स, सऊदी एक्सपोर्ट एजेंसी आदि के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय परामर्श कार्यों का नेतृत्व किया। श्री सैमुअल मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में ऑनर्स इंजीनियरिंग

	स्नातक हैं और उन्होंने बीआईएम त्रिची से वित्त में एमबीए किया है
31 मई 2025 को अन्य निदेशक पद	1. एंग्लो स्कॉटिश एजुकेशन सोसाइटी
31 मई 2025 को समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	0
संस्था के अन्य निदेशकों, प्रबंधकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	कोई नहीं
वर्ष के दौरान बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या (वित्त वर्ष 2025)	12 में से 11 बैठकें
पारिश्रमिक सहित नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की शर्तें और नियम	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ। पारिश्रमिक का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

बोर्ड के आदेशानुसार

श्री. राजकिरण राय जी.
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07427647

दिनांक: 19 जून, 2025

स्थान: मुंबई

कार्यालय का पता:

द कैपिटल, ए विंग, 15वीं मंजिल - 1503,
जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051
दूरभाष- 022 4104 2000